

US-102
18.12.23

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
समाज कल्याण विभाग

सातवां तल, एम.एस.ओ. बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002
(प्रश्न शाखा)

फा.स. 59(स.क.वि./पी.आर.ओ./वि.स.प्र./2023-2024/125-129

दिनांक 15-12-2023

सेवा में,

श्रीमान उप-सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
दिल्ली-110054

विषय- अतारांकित -102 दिनांक 18 मार्च, 2023 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में दिल्ली विधान सभा से प्राप्त ई-मेल दिनांक 08/12/2023
जो कि इस विभाग से संबंधित है।

अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत उत्तर प्रेषित किए जाते हैं।

भवदीय

उप-निदेशक (आर्थिक सहायता अनुभाग)
नोडल ऑफिसर (प्रश्न शाखा)

संलग्न-उपरोक्तानुसार

फा.स. 59(स.क.वि./पी.आर.ओ./वि.स.प्र./2023-2024/

दिनांक

1. निदेशक, सूचना एवं प्रसार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054.
2. सचिव, माननीय मंत्री (समाज कल्याण) दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली-110054
3. निजी सचिव, सचिव, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, सातवां तल, एम.एस.ओ. बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 ।
4. निजी सहायक, निदेशक, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, सातवां तल, एम.एस.ओ. बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 ।

उप-निदेशक (आर्थिक सहायता अनुभाग)
नोडल ऑफिसर (प्रश्न शाखा)

समाज कल्याण विभाग
सातवां तल, एम.एस.ओ. बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या - 102
दिनांक - 18/12/2023
प्रश्नकर्ता - श्री भूपिंदर सिंह जून

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

	प्रश्न	उत्तर
(क)	बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन सहित सभी पेंशनधारकों की कुल संख्या क्या है;	बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में माह अक्टूबर 2023 में कुल पेंशनधारक निम्न प्रकार है- वृद्धावस्था पेंशनधारक- 6448 दिव्यांग पेंशनधारक- 1545 महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में कुल 4294 लाभार्थियों को नवम्बर माह की विधवा पेंशन भेजी गई है ।
(ख)	बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में उक्त तीनों श्रेणियों के पेंशन लाभार्थियों में से कितने मामलों में पेंशन/एरियर का भुगतान नहीं हो सका है, और क्या विभाग ने क्षेत्र के जन-प्रतिनिधि को भुगतान न हो पाने के बारे में सूचित किया है;	बिजवासन विधान सभा क्षेत्र में केवल 968 वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को विभिन्न कारणों से पेंशन प्रेषित नहीं हो पा रही है । माननीय विधायक जी को भी वृद्धावस्था पेंशन के संदर्भ में पत्र व ईमेल के माध्यम से सूचित किया जा चुका है । महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर विभाग वर्ष 2022 से विधवा/निराश्रित पेंशन एवं एरियर का भुगतान NSAP पोर्टल से कर रहा है । विभाग ने जिला सुविधा एवं शिकायत निवारण समिति का भी गठन किया है जिसमें जिले के प्रत्येक माननीय विधायक के प्रतिनिधियों का होना आवश्यक है । समिति के गठन का उद्देश्य योजनाओं को सुचारु रूप से लागू करने में आ रही कठिनाइयों की समीक्षा करना तथा माननीय विधायक के प्रतिनिधियों को कठिनाइयों के बारे में अवगत करना है ।
(ग)	क्या पेंशन संबंधी कठिनाइयों के समाधान हेतु कटवारियों सराय व नजफगढ़ में वृद्धावस्था पेंशनधारकों के लिए कोई विशेष सुविधा प्रदान की गई है;	दोनों ही कार्यालय में वृद्धावस्था व दिव्यांग लाभार्थियों के लिए योजनानुसार अलग से पब्लिक डिलिंग विन्डो है व दोनों ही कार्यालय में बैठने, पानी, पंखों की पर्याप्त सुविधायें हैं । लाभार्थी कार्यालय के हैल्प लाइन नं०-9289550128 व धरोहर मोबाइल ऐप के माध्यम से भी पेंशन संबंधी समस्या का समाधान करवा सकता है ।

(घ)	बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में विधवा तथा दिव्यांग पेंशन के कितने आवेदन विभाग में लंबित हैं, और	दिव्यांग पेंशन के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर 11 आवेदन लंबित हैं क्योंकि आवेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेज कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, जिसकी सूचना आवेदक को भेजी जा चुकी है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में विधवा/ निराश्रित पेंशन के कुल 56 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।
(ङ)	क्या भविष्य में वृद्धावस्था पेंशन को पुनः आरंभ किए जाने का कोई प्रस्ताव है?	पेंशनधारकों को पेंशन नियमित रूप से प्रेषित की जा रही है। नयी शक्तियों का मामला नीतिगत निर्णय है जो कि समय-समय पर मंत्री मंडल द्वारा लिया जाता है।


 दि. 09.06.2023
 ज. 09.06.2023